आज दिनांक 11.01.2016 को जिलास्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक मो0 सोहैल (भा0प्र0से0) जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसकी कार्यवाही निम्न प्रकार है।

उपस्थितिः–पंजी के अनुसार

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव सं0ः–1 कृषि विभाग

बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कुल भौगोलिक क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर प्रखंडवार एवं फसलवार आच्छादन प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

डीजल अनुदानः–

समीक्षा के क्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 2374 आवेदनो का सत्यापन कर विपत्र तैयार कर कोषागार को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, घैलाढ़ द्वारा 900 आवेदन में से मात्र 254 आवेदनो को सत्यापन करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी, निदेश दिया गया कि अगली कृषि टास्क की बैठक से पहले सभी आवेदनो को सत्यापन कराकर विपत्र कोषागार को भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा बताया गया कि 1017 आवेदन का सत्यापन कराया जा चुका है। एडभाईस तैयार कर दो दिनो के अंदर कोषागार में जमा कर दी जायेगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा बताया गया कि 1413 आवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमे 782 आवेदन का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका एडभाईस तैयार किया जा रहा है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अगली कृषि टास्क फोर्स की बैठक से पहले सभी आवेदन सत्यापित कराकर हॉड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी के साथ कोषागार को उपलब्ध करायेंगे, ताकि सत्यापन हेतु कोई आवेदन लम्बित न रहे।

के0सी0सी0ः–

किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को के0सी0सी0 के लिये पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण कर प्रत्येक सप्ताह उसकी प्रगति की समीक्षा करने का निदेश दिया गया, तथा जिन किसानो को भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है। किसान सलाहकार किसानो से आवेदन भरवाकर भू–स्वामित्व प्रमाण हेतु अंचलाधिकारी से किसान के साथ स्वयं सम्पर्क कर उसमे सहयोग करेंगे।

कृषि यांत्रिकरण

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत जिले में लक्ष्य के अनुरूप निर्गत किये गये कृषि यंत्र की स्वीकृति पत्र के अनुरूप प्रखंडवार कृषको द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्र की उपलब्धि काफी कम है। किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक को जिले द्वारा निर्गत स्वीकृति उपलब्ध करा दी जाती है। निर्गत स्वीकृति के अनुरूप किसानो द्वारा यंत्र क्रय नहीं किया जाना किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक द्वारा कृषको को निर्गत स्वीकृति की जानकारी नहीं देना दर्शाता है। निदेशित किया गया कि सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को पंचायतवार लक्ष्य का निर्धारण कर उसकी उपलब्धि की समीक्षा करे, उपलब्धि कम होने पर उनके ऊपर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।